UPMT010015652026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–720/2026
हुकम शर्मा उर्फ हुकुम शर्मा प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–535/2025, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **हुकम शर्मा उर्फ हुकुम शर्मा** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी की मोटरसाईकिल चोरी कर ले जाना आक्षेपित है।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देतु हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन व झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अति विलम्ब से लगभग 7 दिन बाद अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। घटनास्थल के आस पास लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज में उसकी मौजूदगी न होना घटना को संदिग्ध बनाता है। उक्त मुकदमें में किसी भी निष्पक्ष चश्मदीद जनसाक्षी का न होना घटना को संदिग्ध बनाता है। उससे कोई बरामदगी नहीं है। पुलिस उसको तंग व परेशान कर रही है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसको मु०अ०सं० 262/2025 थाना कोतवाली, मथुरा, मु०अ०सं० 362/2025 थाना कोतवाली, मथुरा, मु०अ०सं० 363/2025 थाना कोतवाली, मथुरा, मु०अ०सं० 367/2025 थाना कोतवाली, मथुरा व अपराध संख्या 693/2025 थाना कोतवाली, मथुरा में झूंठा फंसा दिया था, जिनमें वह पूर्व से जमानत पर है। इसके अलावा उसका अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही पूर्व सजायाफ्ता है। वह अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इससे पूर्व किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया, न खारिज हुआ और न ही विचाराधीन है। अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी की मोटरसाईकिल चोरी की गयी है तथा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है, आवेदक/अभियुक्त फरार चल रहा है। आवेदक/अभियुक्त का चोरी से संबंधित केसों का अन्य आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत का पात्र नहीं है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:57:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– विधि व्यवस्था **अशोक कुमार शर्मा प्रति स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर० एल०जे० राजस्थान 54** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक प्रथम दृष्टया यह दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अंतरिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी की मोटरसाईकिल चोरी कर ले जाना आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का चोरी से संबंधित केसों का अन्य आपराधिक इतिहास भी बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०